उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या– 3872(3)/–आठ–1–07– 34 विविध/03

लखनऊ : 17 सितम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु संशोधित हाई–टेक टाउनशिप नीति–2007 जारी की गई है, जिसके अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या :– 3872(3)/–आठ–1–07– 34 विविध/03, दिनांक 17 सितम्बर, 2007 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में संशोधित हाई–टेक टाउनशिप नीति–2007 में निहित व्यवस्थानुसार विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा उच्च स्तरीय समिति को अन्य दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करने के लिए अधिशासी निदेशक, अवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का निमनवत् गठन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल एतद्द्वारा अनुमति प्रदान करते हैं :–

(I)	अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु	अध्यक्ष
(II)	आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, सम्बन्धित शासकीय अभिकरण	सदस्य
(III)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(IV)	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिध, जो नगर एवं ग्राम नियोजक के रैंक से कम न हो	सदस्य
(V)	प्रोफेसर एण्ड हैड, अर्बन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, आई.आई.टी. रूड़की अथवा उनके द्वारा नामित अर्बन प्लानिंग या टाउनशिप नियोजन में अनुभवी विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर रैंक से कम न हो	सदस्य
(VI)	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया अथवा अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्था द्वारा नामित वित्त विशेषज्ञ	सदस्य
(VII)	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य–संयोजन

2. उक्त समिति का कार्य–क्षेत्र निन्मवत् होगा :–

(I) विकासकर्ता/कम्पनी/कन्सार्शियम से प्राप्त प्रस्तावों को खोलना, परीक्षण करना एवं उनका मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट/संस्तुतियॉ उच्च स्तरीय समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।

(II) उच्च स्तरीय समिति को उसके अन्य दायित्वों के निर्वहन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

3. तकनीकी मूल्यांकन समिति में नामित वाह्य विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शासकीय नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा, जिसका भुगतान आवास बन्धु द्वारा किया जाएगा।

मोहिन्दर सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या– 3872(4)/आठ–1–07–34 विविध/03, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मंत्रि–मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3. औद्योगित विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
11. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
19. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
20. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह
विशेष सचिव